

भारतीय जनता पार्टी, डबरा जिला ग्वालियर ग्रामीण

उपाध्यक्ष

सत्येन्द्र दुबे

पार्षद-वार्ड क्र. 24

नगर पालिका परिषद, डबरा



निवास :

शांति सदन, ठाकुर बाबा रोड

डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

मोबा. 9827333653

9340627870

क्रमांक

दिनांक.....06/10/2026

प्रति,

माननीय डॉ. मोहन यादव जी,
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)

द्वारा: श्रीमान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर / अनुविभागीय अधिकारी, डबरा

विषय: डबरा सिटी थाना पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन की तानाशाही व द्वेषपूर्ण कार्यवाही से आहत होकर समस्त पार्षदों द्वारा सामूहिक इस्तीफा देने बाबत।

माननीय मुख्यमंत्री जी,

हम, समस्त डबरा नगर पालिका परिषद के समस्त निर्वाचित पार्षदगण अत्यंत दुखी, आहत और आक्रोशित होकर यह पत्र आपके संज्ञान में ला रहे हैं। डबरा सिटी थाना प्रभारी संजय शर्मा, एसडीओपी सौरभ कुमार एवं तहसीलदार नवीन भारद्वाज द्वारा राजनीतिक द्वेष एवं ईर्ष्या भावना से ग्रसित होकर नगर पालिका परिषद डबरा के निर्वाचित पार्षदों एवं नपा अध्यक्ष पुत्र जितेंद्र उर्फ बंटी राजा के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 एवं 135 के तहत एकपक्षीय व झूठी दंडात्मक कार्यवाही की गई है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक है।

घटनाक्रम का वास्तविक विवरण निम्नानुसार है:

1. PIC बैठक बाधित करना व बंधक बनाना: दिनांक 29/09/2026 को नगर पालिका परिषद डबरा में पीआईसी (PIC) की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी। कुछ तथाकथित एवं उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका के मुख्य द्वार एवं अतिरिक्त द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिससे माननीय अध्यक्ष महोदया अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकीं। साथ ही, कुछ चेयरमैन, पार्षदगण, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) एवं कर्मचारियों को कार्यालय के भीतर ही बंधक बना दिया गया, जिसके कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा।
2. पुलिस की हठधर्मिता व 7 घंटे बाद FIR: जब हम जनप्रतिनिधि इस गंभीर घटना की शिकायत लेकर डबरा सिटी थाना प्रभारी के पास पहुंचे, तो उन्होंने कार्यवाही करने से साफ इंकार कर दिया और मामले को टालते रहे। मजबूरी में नपा अध्यक्ष महोदया, PIC सदस्य, पार्षदगण, CMO एवं समस्त कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा। तब जाकर घटना के 7 घंटे बाद ताला लगाने वाले और उकसाने वाले असामाजिक तत्वों पर प्राथमिकी (FIR - अपराध क्र. 0575/2026) दर्ज की गई।
3. द्वेषपूर्ण एवं फर्जी कार्यवाही: इसी बात से चिढ़कर थाना प्रभारी डबरा सिटी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पार्षदगण—धर्मेन्द्र सिंह हैप्पी, हरविंदर सिंह हीरा, सरदार सिंह कुशवाहा, सुमित साहू, लवलेश कैन एवं नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र जितेंद्र राजा के विरुद्ध झूठी कार्यवाहियां दर्ज कर दीं।

4. अवैध धरने को पुलिस व प्रशासनिक संरक्षण: सिटी थाना प्रभारी एवं एसडीओपी की शह और संरक्षण के कारण ही नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने पिछले 25 दिनों से अवैध रूप से पंडाल लगाकर धरना दिया जा रहा है, जबकि ग्वालियर जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 163 (BNSS) के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। यह वही लोग हैं जिन पर ताला लगाने का अपराध दर्ज है, जो सरेआम जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी पुलिस-प्रशासन ने न तो उन्हें गिरफ्तार किया और न ही अवैध धरने को हटवाया।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन के इस बर्बरतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और तानाशाही रवैये से आहत होकर डबरा नगर पालिका परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों का शासन-प्रशासन पर से विश्वास उठ चुका है।

अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि: डबरा में तानाशाही रवैया अपनाने वाले डबरा सिटी थाना प्रभारी (संजय शर्मा), एसडीओपी (सौरभ कुमार) एवं तहसीलदार (नवीन भारद्वाज) को तत्काल प्रभाव से यहाँ से स्थानांतरित कर निष्पक्ष जाँच कराई जावे अथवा हम समस्त पार्षदगण का सामूहिक इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जावे।

दिनांक: 6/10/2026

भवदीय,
समस्त पार्षदगण एवं जनप्रतिनिधि
नगर पालिका परिषद डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

Wohbay
वाड-17

24
वाड-15

21
वाड-06

सावित्री देवी
वाड-27

मंजी
अध्यक्ष

किशु
वाड-21

किशु
वाड-13

पुनी
वाड-08

उमेश
वाड-20

मोरी
वाड-23

सुनील
वाड-03

नरेश
वाड-09

रमेश
वाड-30

अनिल
वाड-01

2 दिनांक 28

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित)

1. माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
2. माननीय तुलसीराम सिलावट जी, कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री, जिला ग्वालियर।
3. माननीय पुलिस महानिरीक्षक (IG) महोदय, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर (म.प्र.)
4. माननीय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
5. माननीय पुलिस अधीक्षक (SP) महोदय, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO), नगर पालिका परिषद डबरा (ग्वालियर)।